

FAV

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, इन्दिराभवन लखनऊ।

पत्रांक: एफ0एस0-505-2015

दिनांक: लखनऊ: अगस्त 9, 2016

सेवा में,

1. **समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,**
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।
2. **प्रधानाचार्य/सेनानायक,**
राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव।
3. **अधीक्षक,**
राजकीय मुद्रणालय लेखन सामग्री,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

विषय: सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन हेतु निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 24.05.2016 के कम में पदावनति हुये कर्मियों को उनके पूर्व पद पर स्थापित किये जाने की तिथि से उ0प्र0 अग्निशमन सेवा में नियुक्त फायरमैन संवर्ग की इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.11.2015 द्वारा अन्तिम रूप से परिचालित ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए पुनः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का परिचालन किया जाना।


इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.11.2015 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो अन्तिम रूप परिचालित ज्येष्ठता सूची को उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या- 2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.05.2016 के अनुपालनार्थ अग्निशमन सेवा में नियुक्त फायरमैन संवर्ग की इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.11.2015 द्वारा अन्तिम रूप से परिचालित ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए पुनः उ0प्र0 अग्निशमन सेवा में नियुक्त व उ0प्र0 नामिनल रोल प्रणाली में फीड फायरमैन संवर्ग की स्थिति के अनुसार फायर सर्विस मुख्यालय स्तर से तैयार की गयी पारस्परिक, संशोधित/ परिवर्द्धित/अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता कम में सूची का परिचालन किया जा रहा है।

2. कृपया संलग्न फायरमैन संवर्ग की अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची में अंकित कर्मियों को सूचित कराकर, उनकी सहमति/असहमति का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप-क के रूप में, सूची के जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर अवश्य ही इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि निर्धारित तिथि तक अनन्तिम वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि किसी कार्मिक को वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और अन्तिम रूप से वरिष्ठता सन्नी परिचालित कर दी जायेगी। संबंधित कार्मिक, परिचालित वरिष्ठता सूची में अपने कम के संबंध में आपत्ति सीधे फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ को प्रमाण-पत्र सहित अधिकारियों को भेज सकते हैं।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि संलग्न सूची में अंकित व आपके जनपद में नियुक्त कार्मिकों की समस्त कालमों की सूचना का मिलान भी इनकी चरित्र पत्रिका से कराकर, प्रारूप-ख में राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सूचना अवश्य भेजें तथा माह जुलाई, 2016 में भुगतान किये गये वेतन बिल से भी मिलान अथवा अन्य किसी माध्यम से मिलान कराकर यह भी प्रारूप ग में प्रमाण-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से भेजने का कष्ट करें, कि कोई भी फायरमैन (कर्मि) का नाम जनपद में छूटा नहीं है।

4. फायरमैन की अनन्तिम (Tentative) सूची उ0प्र0 पुलिस वेबसाइट के फायर सर्विस के सरकुलर पर अपलोड एवं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के ई-मेल पर भी उपलब्ध है। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

**संलग्नक-वरिष्ठता कम में सूची व
प्रारूप क, ख व ग**


(आर0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक(पी0)
नि0-पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:- समस्त उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने परिक्षेत्र के समस्त जनपदों की प्रारूप-क, ख व ग की सूचना एकत्रित कर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए स्वयं भी प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि किसी भी फायरमैन (कर्मि) का नाम जनपद में छूटा नहीं है। वरिष्ठता कम में सूची व प्रारूप-क, ख व ग संलग्न है।

संलग्नक-प्रारूप-क, ख व ग।

2. समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी/समस्त प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के अग्निशमन केन्द्रों पर नियुक्त फायरमैन को सूची से अवलोकित कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र अपने स्तर से देंगे कि उनके जनपद में नियुक्त समस्त फायरमैन का नाम/विवरण उपरोक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित है किसी फायरमैन का नाम छूटा नहीं है। यदि किसी का नाम छूटा हो तो भी प्रमाण पत्र के साथ सूची के प्रारूप-ख के अनुसार ही सूची 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-प्रारूप-क, ख व ग।

प्रमाण-पत्र

मैं, फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-505-2015, दिनांक: 08 .10.2015 के साथ संलग्न फायर मैन संवर्ग की निर्धारित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के कम को स्वीकार करता हूँ/ नहीं करता हूँ तथा इसमें निर्धारित वरिष्ठता कम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है/ आपत्ति है। आपत्ति का स्पष्ट कारण प्रमाणिक अभिलेखों सहित अंकित करें।

कार्मिक का नाम
पी०एन०ओ०
नियुक्ति जनपद का नाम
दिनांक:

प्रारूप-ख

प्रमाण-पत्र

मैं, फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-एफएस-505-2015, दिनांक .10.2015 के साथ संलग्न फायर मैन संवर्ग की निर्धारित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित व इस जनपद में नियुक्त कार्मिकों के प्रत्येक कालम की सूचना का, इनकी चरित्र पंजिका से मिलान कर लिया गया है, जो सही हैं तथा चरित्र पंजिका के अनुसार कार्मिक की सूचना निम्नवत् है :-

- 1-वरिष्ठता सूची का क्रमांक.....
- 2-पी०एन०ओ० नं०.....
- 3-कार्मिक का नाम.....
4. पिता का नाम.....
- 5-पदनाम.....
- 6-जन्म तिथि.....
- 7-भर्ती तिथि.....
- 8-गृह जनपद.....
- 9-जनपद में नियुक्ति की तिथि.....

हस्ताक्षर
राजपत्रित अधिकारी का नाम
जनपद-

प्रारूप-ग

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सभी प्रविष्टियों का मिलान सेवा अभिलेख से करा लिया गया है, जो सही हैं। इनके अतिरिक्त मेरे जनपद में किसी भी फायरमैन (कर्मी) का नाम छूटा नहीं है। फायरमैन को उनकी वरिष्ठता के संबंध में लिखित रूप से सूचित करा दिया गया है।

हस्ताक्षर
वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
जनपद-